किस्म मुकदमाः— धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
नम्बरः— 12/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अरूण माली बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2024	अपीलार्थी अरूण माली निवासी मालियों का बास, फकिरों का तकिया, नयापुरा, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस पक्ष (तहसीलदार फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/2198 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा आवेदक का भारतीय डाक से भिजवा दी गई थी, जिसकी प्रति भी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाऐं जरिये डाक अपीलांट को भिजवा दी गई थी। तहसीलदार फलौदी द्वारा सूचना आवेदन में सूचना की प्रति अपीलांट को उपलब्ध करवायी गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट फलौदी (राज.)	